

बिहार सरकार

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं० सं०-4/निदे०-एस०सी०ए०-टी-०१/२००७-

125

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीर चन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक- 27.03.17

विषय:-पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत समेकित थरूहट क्षेत्र विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष-2016-17 में राज्य योजना से समेकित थरूहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के माध्यम से थरूहट क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रस्तावित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा ₹2000.00 लाख (बीस करोड़) मात्र अनुदान के रूप में समेकित थरूहट विकास अभिकरण पश्चिम चम्पारण, बेतिया को उपलब्ध कराते हुए चयनित योजनाओं के लिये व्यय करने की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

2- कुल भारत व्यय की राशि राज्य योजना, मांग संख्या-44 के अन्तर्गत आय-व्यय मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना- उपशीर्ष-0125-थरूहट क्षेत्र विकास-विषय शीर्ष-3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा-राज्य योजना स्कीम कोड-SST-5462-विपत्र कोड-P2225027960125 में भारत होंगे।

3- इस राशि के लिए निकासी पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया होंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया राशि की आवश्यकतानुसार निकासी कर समेकित थरूहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही वे अभिकरण का अंकेक्षण प्रतिवेदन अभिकरण से प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार तथा विभाग को उपलब्ध करायेंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया होंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया समेकित रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

4- योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन जिला स्तर पर गठित समेकित थरूहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के कार्यकारिणी समिति तथा आम सभा द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में किया जायेगा। प्रस्तावित राशि के तहत थरूहट क्षेत्र के विकास हेतु जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, समेकित थरूहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक-87 दिनांक-24.05.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत व्यवसायिक प्रशिक्षण अन्तर्गत Basic Computer & Data Entry प्रशिक्षण(लैपटॉप के साथ), सिक्युरिटी गार्ड प्रशिक्षण, ड्रेस मेकिंग(सिलाई मशीन के साथ), इलेक्ट्रिशियन प्रशिक्षण, प्लम्बिंग प्रशिक्षण, ऑटो मोबाईल मरम्मत प्रशिक्षण, ड्राईविंग प्रशिक्षण, हॉस्पिटैलिटी प्रशिक्षण एवं जीविका अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को गौ पालन एवं बकरी पालन का प्रशिक्षण एवं गौ पालन एवं बकरी पालन की परियोजना लागत का 50 प्रतिशत सब्सिडी देना, संबंधी योजनाएँ ली जायेगी।

5- कौशल विकास कार्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये श्रम संसाधन विभाग द्वारा पूरे राज्य के लिये राज्य कौशल नीति का सूत्रण किया जा रहा है एवं विभिन्न कौशल विकास योजनाओं की मानक प्रक्रिया, दर क्या होगी तथा किस एजेंसी के माध्यम से प्रशिक्षण कराया जायेगा, यह समेकित रूप से अलग से निर्धारित किया जा रहा है।

अतः कौशल विकास कार्यक्रम/ प्रशिक्षण के लिये कर्णाकित राशि का व्यय श्रम संसाधन विभाग द्वारा चयनित एजेन्सी तथा दिशा-निर्देश प्राप्त कर प्रशिक्षण कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।

- 6- महालेखाकार, बिहार को इस राशि से व्यय से सम्बंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा।
- 7- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र सं०-2561 दिनांक- 17/4/98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।
- 8- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।
- 9- इस प्रस्ताव में योजना प्राधिकृत समिति एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।
- 10- इस राशि की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-4/ निदे०-एस०सी०ए०-टी-01/2007-के पृष्ठ-177/टि० पर प्राप्ति के आलोक में दी जा रही है।
- 11- सभी सम्बंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।
- 12- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

(प्रेम सिंह मिश्रा)

सरकार के सचिव

पटना, दिनांक- 27.03.17

ज्ञापांक-4/निदे०-एस०सी०ए०-टी-01/2007- 125
प्रतिलिपि- जिला कोषागार पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

पटना, दिनांक- 27.03.17

ज्ञापांक-4/निदे०-एस०सी०ए०-टी-01/2007- 125
(1) वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण/प्रमंडलीय उपनिदेशक(क०), तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/परियोजना पदाधिकारी, समेकित थरुहट विकास अभिकरण, प० चम्पारण (बेतिया)/जिला कल्याण पदाधिकारी, प० चम्पारण (बेतिया)/अवर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/लेखा शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग (दोहरी प्रति में)/ प्रशाखा पदा० 1 एवं 6 (डी०)/सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण (बेतिया)।

पटना, दिनांक-28.03.17

विषय:-वित्तीय वर्ष-2016-17 में राज्य योजना से समेकित थरुहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के माध्यम से थरुहट क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रस्तावित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु समेकित थरुहट विकास अभिकरण पश्चिम चम्पारण, बेतिया को उपलब्ध कराने हेतु ₹2000.00 लाख (बीस करोड़) मात्र का आवंटन।


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 स्वीकृत्यादेश सं०-125 दिनांक-27.03.2017 द्वारा राज्य योजना से समेकित थरुहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के माध्यम से थरुहट क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रस्तावित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु समेकित थरुहट विकास अभिकरण पश्चिम चम्पारण, बेतिया को उपलब्ध कराने हेतु मात्र ₹2000.00 लाख (बीस करोड़) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तदालोक में समेकित थरुहट विकास अभिकरण पश्चिम चम्पारण, बेतिया को ₹2000.00 लाख (बीस करोड़) मात्र अनुदान के रूप में आवंटित की जाती है।

2- कुल भारत व्यय की राशि राज्य योजना मांग संख्या-44 के अन्तर्गत आय-व्ययक मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना- उपशीर्ष-0125-थरुहट क्षेत्र विकास-विषय शीर्ष-3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा-राज्य योजना स्कीम कोड-SST-5462-विपत्र कोड-P2225027960125 में भारत होंगे।

3- इस राशि के लिए निकासी पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया होंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया राशि की आवश्यकतानुसार निकासी कर समेकित थरुहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही वे अभिकरण का अंकेक्षण प्रतिवेदन अभिकरण से प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार तथा विभाग को उपलब्ध करायेंगे। इस योजना के नियंत्रण पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया होंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया समेकित रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

4- योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन जिला स्तर पर गठित समेकित थरुहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के कार्यकारिणी समिति तथा आम सभा द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में किया जायेगा। प्रस्तावित राशि के तहत थरुहट क्षेत्र के विकास हेतु जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, समेकित थरुहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक-87 दिनांक-24.05.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत व्यवसायिक प्रशिक्षण अन्तर्गत Basic Computer & Data Entry प्रशिक्षण (लैपटॉप के साथ), सिक्युरिटी गार्ड प्रशिक्षण, ड्रेस मेकिंग(सिलाई मशीन के साथ), इलेक्ट्रिशियन प्रशिक्षण, प्लम्बिंग प्रशिक्षण, ऑटो मोबाइल मरम्मत प्रशिक्षण, ड्राइविंग प्रशिक्षण, हॉस्पिटैलिटी प्रशिक्षण एवं जीविका अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को गौ पालन एवं बकरी पालन का प्रशिक्षण एवं गौ पालन एवं बकरी पालन की परियोजना लागत का 50 प्रतिशत सन्धि देना, संबंधी योजनाएं ली जायेगी।





5- कौशल विकास कार्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये श्रम संसाधन विभाग द्वारा पूरे राज्य के लिये राज्य कौशल नीति का सूत्रण किया जा रहा है एवं विभिन्न कौशल विकास योजनाओं की मानक प्रक्रिया, दर क्या होगी तथा किस एजेंसी के माध्यम से प्रशिक्षण कराया जायेगा, यह समेकित रूप से निर्धारित किया जा रहा ।

अतः कौशल विकास कार्यक्रम/ प्रशिक्षण के लिये कर्णांकित राशि का व्यय श्रम संसाधन विभाग द्वारा चयनित एजेन्सी तथा दिशा-निर्देश प्राप्त कर प्रशिक्षण कार्य सुनिश्चित किया जायेगा ।

6- महालेखाकार, बिहार को इस राशि से व्यय से सम्बंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा ।

7- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र सं०-2561 दिनांक- 17/4/98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा ।

8- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे ।

9- सभी सम्बंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है ।

10- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन

(वीरेंद्र कुमार)
निदेशक ।

ज्ञापांक-4/निदे०-एस०सी०ए०-टी-०१/२००७- 137 पटना, दिनांक-28.03.12
प्रतिलिपि- जिला कोषागार पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(वीरेंद्र कुमार)
निदेशक ।

ज्ञापांक-4/निदे०-एस०सी०ए०-टी-०१/२००७- 137 पटना, दिनांक-28.03.12
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण/प्रमंडलीय उपनिदेशक(क०), तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/परियोजना पदाधिकारी, समेकित थरुहट विकास अभिकरण, प० चम्पारण (बेतिया)/अवर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/लेखा शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग (दोहरी प्रति में)/ प्रशाखा पदा० 1 एवं 6 (डी०)/सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/3/12

निदेशक 28/3/12